उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-56/2020/761/52-1-2020-17(पी.एम.जे.वी.के.)/20

लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2020

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-33/2020/329/52-1-2020-17(पी.एम.जे.वी.के.)/20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के कॉलम संख्या 3 के क्रमांक 2 में लिपिकीय त्रुटिवश अंकित जनपद पीलीभीत के बिलासपुर के स्थान पर बीसलपुर पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-33/2020/329/52-1-2020-17(पी.एम.जे.वी.के.)/20 दिनांक 17 मार्च 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-761(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में यथाआवश्यक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, **सम्बन्धित कार्यदायी संस्था** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।

http://shasanadesh.up.gov.in

UO Gautam sir

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

UO Gautam sir